

अनुदान संख्या 5 - नाभिकीय विद्युत स्कीमें
GRANT No. 5-NUCLEAR POWER SCHEMES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1486,40,00		
पूरक	Supplementary	152,21,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			518,24,00
पूँजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1526,88,00		
पूरक	Supplementary	180,02,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			65,00

टीका और टिप्पणियाँ

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (52094.35 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और दिसम्बर, 2008 में प्राप्त किए गए 15221.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 32 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.52094.35 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.15221.00 lakhs obtained in October, 2008 and December, 2008 and constituted 32 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"			
बिजली	Power			
मू.	O.	148640.00		
पू.	S.	15221.00		
पु.	R.	-51824.00		
			112037.00	111766.65
				-270.35

(I) “नाभिकीय विद्युत उत्पादन - अपशिष्ट प्रबंधन” के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) “तारापुर में अपशिष्ट स्थिरीकरण संयंत्र का प्रचालनात्मक व्यय” - 1413.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 262.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1675.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 145.30 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(खा) “तारापुर में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का प्रचालनात्मक व्यय” - 524.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 195.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 719.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 168.36 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें निविदा देने की प्रक्रिया में विलंब होने और कार्य शुरू करने के कार्यक्रम में संशोधन होने के कारण हुईं।

(गा) “कलपक्कम में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का प्रचालनात्मक व्यय” - 821.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 163.09 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 984.09 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, सामग्रियों की आपूर्ति की सुपुर्दगी में विलंब होने और कुछ निर्माण कार्यों का निष्पादन स्थगित किए जाने के कारण 46.42 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) “नाभिकीय विद्युत उत्पादन” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) “ईंधन सूची - अन्य केंद्रों के लिए पीएचडब्ल्यूआर ईंधन” - 65985.83 लाख रु. की बचत (130888.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पीएचडब्ल्यूआर प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का कम आयात किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अपशिष्ट प्रबंधन - एमएपीएस के लिए अतिरिक्त उन्नयन सुविधा संबंधी प्रचालनात्मक व्यय” - 140.24 लाख

(I) Supplementary grant obtained under “Nuclear Power Generation -Waste Management” remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) “Operational Expenses of Waste Immobilisation Plant at Tarapur” – the original provision of Rs.1413.00 lakhs was augmented to Rs.1675.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.262.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.145.30 lakhs; and

(B) “Operational Expenses of Waste Management Facilities at Tarapur” – the original provision of Rs.524.00 lakhs was augmented to Rs.719.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.195.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.168.36 lakhs.

Savings under the above two heads were due to delay in tendering process and revised schedule in undertaking works.

(C) “Operational Expenses of Waste Management Facilities at Kalpakkam” – the original provision of Rs.821.00 lakhs was augmented to Rs.984.09 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.163.09 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.46.42 lakhs - due to delay in delivery of supplies of materials and postponement of execution of certain works.

(II) Under “Nuclear Power Generation” - savings also occurred under the following heads:-

(A) “Fuel Inventory - PHWR Fuel for other Stations” - saving of Rs.65985.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.130888.00 lakhs) was due to less import of PHWR Natural Uranium Fuel.

(B) “Waste Management - Operational Expenses for Additional Upgrading Facility for

रु. की बचत (2.91 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 259.91 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपभोज्य सामग्रियों की खरीद संबंधी अदायगियां आस्थगित किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें “नाभिकीय विद्युत उत्पादन” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) “ईंधन सूची - टीएपीएस के लिए बीडब्ल्यूआर ईंधन” - 13628.19 लाख रु. का अधिक व्यय (1307.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ईंधन के आयात के लिए अग्रिम अदायगी किए जाने की वजह से ईंधन की अतिरिक्त मात्रा के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) “राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र - प्रचालन और रख-रखाव” - 732.01 लाख रु. का अधिक व्यय (6707.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों लागू किए जाने के परिणामस्वरूप स्थापना प्रभारों में वृद्धि होने की वजह से विद्युत संयंत्र के रख-रखाव के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

MAPS” – saving of Rs.140.24 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.259.91 lakhs including token supplementary grant of Rs.2.91 lakhs) was due to deferred payments towards purchase of consumables.

2. The above savings were partly offset by excess under “Nuclear Power Generation”- under the following heads:-

(I) “Fuel Inventory - BWR Fuel for TAPS” – excess of Rs.13628.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1307.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards additional quantity of fuel owing to advance payment made for import of fuel.

(II) “Rajasthan Atomic Power Station – Operation and Maintenance” - excess of Rs.732.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6707.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards maintenance of Power Plant owing to increase in establishment charges on account of implementation of 6th Central Pay Commission Report.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
------------------------------	--	-----------------

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष मुख्य शीर्ष “4801” बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Head Major Head “4801” Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	64160.00	74395.00	74355.84	-39.16
पू.	S.	10500.00			
पु.	R.	-265.00			

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "6801" बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	Major Head "6801" Loans for Power Projects			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मू.	O.	88528.00	96230.00	96230.00
पू.	S.	7502.00		
पु.	R.	200.00		

(I) 10.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.10.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4801" - "नाभिकीय विद्युत उत्पादन - फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स - फास्ट ब्रीडर रिएक्टर - आईजीसीएआर" के अंतर्गत 600.01 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने, कुछ महत्वपूर्ण मदों की अधिप्राप्ति और सम्बद्ध सिविल निर्माण कार्य में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4801" - "Nuclear Power Generation - Fast Breeder Reactors - Fast Breeder Reactor - IGCAR" - saving of Rs.600.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to delay in finalisation of design, procurement of some critical items and associated civil works.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 94.15 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 63 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of Rs.94.15 lakhs occurred constituting 63 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

4. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "4801" - "नाभिकीय विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड" - 400.00 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसम्बर, 2008 में प्राप्त किए गए 10500.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 72500.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अतिरिक्त इक्विटी निवेश एवं मुख्य संविदाओं के लिए अदायगियां किए जाने और सामग्रियों एवं उपकरणों की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(I) Major Head "4801" - "Nuclear Power Generation - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Bharatiya Nabhikiya Vidhyut Nigam Limited" - excess of Rs.400.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.72500.00 lakhs including supplementary grant of Rs.10500.00 lakhs obtained in December, 2008) was due to additional equity investment and payments towards major contracts and purchases of materials and equipments.

(II) मुख्य शीर्ष "6801" - "नाभिकीय विद्युत उत्पादन - केकेएनपी के लिए ईंधन" - 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसम्बर, 2008 में प्राप्त किए गए 7502.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 41030.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्ज तथा अग्रिम के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Major Head "6801" - "Nuclear Power Generation - Fuels for KKNP" - excess of Rs.200.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.41030.00 lakhs including supplementary grant of Rs.7502.00 lakhs obtained in December, 2008) was due to requirement of additional funds towards loans and advances.
